UPPG010005982014

न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश /एफ.टी.सी. प्रतापगढ़।

सिविल अपील सं0–22/2014

गफ्फार बनाम वली मोहम्मद

08.12.2023

निस्तारण प्रार्थना पत्र 63 क 2

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थ/अपीलार्थी गफ्फार की ओर से प्रार्थना पत्र 63 क 2 अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 व आदेश 6 नियम 17 जा०दी० प्रस्तुत कर कथन किया गया कि अपील में रेस्पा० संख्या 1 वली मोहम्मद की मृत्यु दिनांक 16.02.2018 को हो गयी है। उनके वारिसान व कायम मोकामान उनकी पत्नी कनीज फातमा व तीन लड़के मो. शरीफ, मो. मुनीफ, मो. लतीफ व उनके मृतक पुत्र मोहम्मद आबिद के तीन लड़के कल्लू, सेबू व गुड्डू है। यही लोग मृतक की समस्त चल व अचल संपत्ति पर काबिज दखील हैं। इनके अतिरिक्त मृतक का कोई दूसरा वारिस नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र 63 क 2 कायम मुकामी स्वीकार करते हुए अपील में निम्न संशोधन किये जाने की प्रार्थना की गयी।

विपक्षी रेस्पान्डेन्ट की ओर से आपत्ति कागज संख्या 70 क 2 प्रस्तुत कर कथन किया गया मृतक वली मोहम्मद के विधिक कायम मुकामान का नाम गलत दिया गया है मृतक का कोई पुत्र मो. नसीब नहीं है उसका नाम मो. लतीफ है। मो. आबिद मृतक रेस्पान्डेन्ट वली मोहम्मद का पुत्र था जो उनके जीवनकाल में फौत हो गया था उक्त मो. आबिद के पुत्रगण मो. इरशाद, मो. साजिद, मो. जाकिर व मो. इजहार है। कल्लू, सेबू, व गुड्डू कदापि नहीं मो. आबिद के पुत्रगण नहीं है। प्रार्थना पत्र में उक्त लोगों का नाम गलत दिया गया है। मो. आबिद उपरोक्त की पत्नी श्रीमती साबिरा है वह भी मृतक वली मोहम्मद की विधिक कायम मुकाम है। प्रार्थना पत्र कायम मुकामी त्रुटि पूर्ण है निरस्त होने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र कायम मुकामी निरस्त करने का निवेदन किया गया।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थना पत्र 63 क 2 कायम मुकामी मृतक रेस्पा० नं० 1 वली मोहम्मद के विधिक वारिसानों को कायम मोकाम किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थी की ओर से रेस्पान्डेन्टस को तामिला हेतु भेजी गयी रजिस्ट्री रसीद की प्रति व स्टेटस रिपोर्ट की छायाप्रति पत्रावली पर प्रस्तुत की गयी है। प्रार्थना पत्र अंदर मियाद है। प्रार्थना पत्र शपथ पत्र 64 ग 2 से समर्थित है। अतः न्यायहित में कायम मुकामी का प्रार्थना पत्र 63 क 2 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 63 क 2 कायम मुकामी स्वीकार किया जाता है। संशोधन अंदर सप्ताह हो। पत्रावली वास्ते अग्रिम प्रक्रियार्थ दिनांक 08.01.2024 को पेश हो।

(सुमित पंवार)

दिनांक 08.12.2023

अपर जनपद न्यायाधीश/
एफ.टी.सी., प्रतापगढ़।

Digitally signed by Sumit Panwar
Date: 2023.12.08 16:26:46 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court